न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सख्या :—100/2018

वादीगण — बनाम — **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
1 मगाराम पुत्र पुखाराम।	1. प्रकाश चन्द पुत्र डूंगाराम
2 चन्दाराम पुत्र पुखाराम	2. मदनलाल पुत्र डूंगाराम
3 मोहनलाल पुत्र पुखाराम जातियान माली साकिन सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	3. भैराराम उर्फ अमित पुत्र पुखाराम।
	4. मृतक भंवरलाल पुत्र पुखाराम के वारिसान—
	4/1 टीकमराम पुत्र भंवरलाल
	4/2 राकेश पुत्र भंवरलाल
	4/3 डगराई पत्नि भंवरलाल जातिगण माली निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)
	5. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति —

1. अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी मय वादीगण स्वयं उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज देवड़ा मय प्रति0 सं0 1 से 3, 4/1 से 4/3 स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 23.07.2018

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक दो में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित हैं, जो कृषि भूमि बंटवाडा से पूर्व की गत जमाबन्दियो अनुसार — ख0नं0 3019, 3027, 3030, 3032, 3033, 3040, 3049, 3057, 3059 कुल किता 09 कुल रकवा 6.1100 हैक्टर भूमि है। उक्त वर्णित कृषि भूमि बंटवाड़ा से पूर्व सभी खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित थी, जिस कृषि भूमि का सभी खातेदारान ने बंटवाड़ा किया था, जो बंटवाड़ा मौके पर नही कर मात्र दस्तावेज में ही कर दिया, जिसके अनुसार जमाबन्दी अलग अलग बनी थी। जिसके अनुसार वादी संख्या 1 के हिस्से मे रखी कृषि भूमि ख0नं0 3019/3, 3030, 3040/4, 3049/2, 3059/4 कुल किता खसरा 05 कुल रकबा 1.0200 है0 , वादी संख्या 2 के हिस्से में रखी कृषि भूमि ख0नं0 3019/5, 3027/1, 3040/2, 3057/1 व 3059/2 कुल किता खसरा 05 कुल रकबा 1.0200 है0, वादी संख्या 3 के हिस्से में रखी कृषि भूमि ख0नं0 3019/4, 3030/1, 3040/5, 3057/2 व 3059/5 कुल किता खसरा 05 कुल रकबा 1.0100 है0, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में रखी कृषि भूमि ख0नं0 3019/1, 3032/1, 3033/1, 3049/1 व 3059/3 कुल किता खसरा 06 कुल रकबा 1.0200 है0 स्थित है। प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में रखी कृषि भूमि ख0नं0 3019/2, 3032, 3033, 3040/1, 3057 व 3059 कुल किता खसरा 06 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर है। प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्से में रखी कृषि भूमि ख0नं0 3019, 3027, 3040, 3049 व 3059/1 कुल किता खसरा 05 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर स्थित है। उक्त खातेदारान के मध्य केवल दस्तावेजों में ही

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

...किया हुआ है। लेकिन मौके पर आज दिन तक खातेदारान के बीच बंटवाड़ा किया हुआ नही है। सभी खातेदारान के बीच उक्त कृषि भूमि का मौके पर आज भी उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार काबिज नही होकर अपने पूर्वजो के समय से शांतिपूर्वक तरीके से काबिज चले आ रहे है। वादी संख्या 1 मगाराम की कब्जा काश्त सुदा भूमि ख0नं0 3019, 3019/1, 3019/2, 3019/3, 3019/4, 3019/5 व 3040/4 कुल किता खसरा 06 रकबा 1.2000 है0 स्थित है। वादी संख्या 02 चन्दणाराम की कब्जा काश्त सुदा भूमि ख0नं0 3057, 3057/1, 3057/2, 3049, 3049/1, 3049/2, 3040/2 कुल किता खसरा 06 कुल रकबा 1.1200 हैक्टर स्थित है। वादी संख्या 3 मोहनलाल की कब्जा काश्त सुदा भूमि ख0नं0 3030, 3030/1, 3040/5 कुल किता खसरा 03 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाशचंद व 2 मदनलाल की कब्जा काश्त सुदा भूमि ख0नं0 3027, 3027/1, 3040/3 कुल किता खसरा 03 कुल रकबा 1.0400 हैक्टर स्थित है। प्रतिवादी संख्या 2 भैराराम उर्फ अमित की कब्जा काश्त सुदा भूमि ख0नं0 3032, 3032/1, 3033, 3033/1, 3040/1 कुल किता खसरा 05 कुल रकबा 1.1200 है0 स्थित है। प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 टीकमराम, राकेश व डगराई की कब्जा काश्त सुदा भूमि ख0नं0 3040, 3059, 3059/1, 3059/2, 3059/3 3059/4 व 3059/5 कुल किता खसरा 07 कुल रकबा 0.5200 हैक्टर स्थित है। उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक तरीके से आज दिन तक काबिज काश्त चले आ रहे है। पूर्व में बंटवाडा केवल दस्तावेज में ही किया हुआ है, लेकिन मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण उपरोक्त बताये गये खसरा नम्बरान पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। पूर्व में हुए बंटवाड़े अनुसार उक्त कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके है, जिससे सभी खातेदारान को काश्त करने पर भारी वाधा व अवरोध पैदा हो रही है, कृषि के साधनो से खड़ाई भी करना मुश्किल हो चुका है, जिससे सभी खातेदारान उक्त बंटवाड़ा अनुसार कतई मौके पर बंटवाड़ा नही किया आज भी पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि पर अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इसी अनुसार उकत कृषि भूमि पुनः अपने अपने नाम से खातेदारी करवाना चाहते है तथा उसी अनुसार राजरव रेकर्ड के इन्द्राज करवाना चाहते है। वादीगण प्रतिवादीगण उपरोक्त अनुसार पुनः खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण सभी ने एक साथ उपस्थित होकर दर्ज करवाने में असमर्थता जाहिर की। वादीगण व प्रतिवादीगण जमाबंदी में दर्ज खातेदारी के अनुसार कतई काबिज काश्त नही है तथा उक्त जमाबंदी में दर्ज कृषि भूमि के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को काश्त करने में भारी वाधा, अवरोध पैदा हुआ तथा शांति पूर्वक काश्त नही कर पा रहे है। इसलिए वादीगण पद संख्या 02 में वर्णितानुसार पुनः खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण पद संख्या 2 में वर्णितानुसार खातेदार घोषित करवाना चाहते है तथा उसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर शांति पूर्वक तरीके से अपने पूर्वजो से समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने दिनांक 28.06.2018 को पद संख्या 2 में वर्णितानुसार पुनः खातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन किया। तब प्रतिवादीगण ने उपनोक्तानुसार कृषि भूमि पुनः दर्ज नही करवाने हेतु असमर्थता जाहिर की, ऐसी स्थिति मे वादीगण के पास वाद पेश करने के आलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। विनायदावा दिनांक 28.06.2018 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौका पर कब्जा अनुसार पद संख्या 02 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पुनः खातेदारी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

... करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण के द्वारा इन्कार करने से बमुकाम सोजत उत्पन्न हुआ, जिससे वाद अन्दर म्याद पेश किया है। इस प्रकार वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वादीगण का वाद डिकी किया जाकर मौजा–सोजत चक।। की पद सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का पुनः समस्त खातेदारान की सम्मिलित करते हुए वाद–पत्र के पद संख्या 2 में वर्णितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उपरोक्त कब्जा काश्त अनुसार उभय पक्षो को खातेदार काश्तकार घोषित करके राजस्व रेकर्ड अर्थात वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राजात किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 तथा 4/1 से 4/3 की ओर से श्री सम्पतराज देवड़ा ने वकालातनामा तथा आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज दिनांक 23.07.2018 को पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 तथा 4/1 से 4/3 ने ईकबालिया जवाबदावा मय काउण्टर वाद प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया है कि उक्त कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक--2 मे स्थित है जिसमें वादीगण द्वारा बताये गये कृषि भूमि का विवरण वाद के पद संख्या ए. बी. सी. डी. इ. एफ में वर्णित कृषि भूमि का बंटवाड़ा सभी खातेदारान ने दस्तावेज में ही किया था। लेकिन मौके पर इस प्रकार कोई बंटवाड़ा किया हुआ नही है। शेष तथ्य स्वीकार किये है। यह सही है कि पद संख्या 1 अनुसार मौके पर काबिज न होकर इस पद में बताये गये कृषि भूमि के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। पूर्व में हुए बंटवाड़े से उक्त कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकडे हो चुके है जिसके अनुसार मौके पर बंटवाड़ा किया जाना सम्भव नही है न ही तरमीम किया जा सकता है। उक्त छोटे–छोटे टुकड़ो में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के काश्त करने मे भारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण पुनः उक्त कृषि भूमि के खातेदार सम्मिलित घोषित करवाकर माफिक पद संख्या 2 में ए. बी. सी. डी. इ. एफ में बताये गये अनुसार बंटवाडा पुनः करवाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाना चाहते है। इस प्रकार अधिवक्तामय प्रतिवादीगण ने ई0ज0दा0 पेश कर तथ्यो को स्वीकार किया है। ई0ज0दा0 के साथ ही अधिवक्ता प्रति0 ने काउण्टर वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट पेश कर सरहद मौजा सोजत चक--2 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित है, जो स्थित है। उक्त कृषि भूमि का केवल दस्तावेजी बंटवाड़ा किया हुआ था, जिसका विवरण वाद पत्र के पद संख्या 1 ए. बी. सी. डी. ई. एफ. में वर्णित है। लेकिन उक्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा अनुसार कतई काबिज होना एवं काश्त किया जाना सम्भव नही है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित ए. बी. सी. डी. ई. एफ के अनुसार कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। जिसके अनुसार उक्त कृषि भूमि का पुनः बंटवाड़ा किया जाना कानून आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीगण द्वारा पेश किया है जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण काउण्टर वाद के जरिये उक्त कृषि भूमि के खातेदार घोषित करवाकर पुनः बंटवाड़ा वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णितानुसार करवाना चाहते है। जिस अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिये यह काउण्टर वाद विरूद्ध वादीगण पेश है। वादीगण द्वारा वाद पेश करने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ। वादग्रस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक –2 में स्थित होने से काउण्टर वाद पेश किया है। इस प्रकार इ0ज0दा0 एवं काउण्टर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

पेश कर सरहद मौजा–सोजत चक।। में स्थित वाद–पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को पुनः समस्त खातेदारो (वादीगण व प्रतिवादीगण) को सम्मिलित करते हुए पद संख्या 2 में अंकित विवरण ए0 बी0 सी0 डी0 ई0 एफ0 अनुसार कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा पक्षकारानों का बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता वादीगण उक्त काउण्टर वाद का जवाब पेश करना नही चाहते हैं, इस आशय का प्रा0पत्र पृथक से पेश किया है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 4/1 से 4/3 ने ईकबालिया जवाबदावा एवं काउण्टर वाद पेश कर वाद-पत्र के वर्णित तथ्यो को स्वीकार कर वाद–पत्र की वर्णित वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि को पुनः सम्मिलित करते हुए वाद–पत्र की पद संख्या 2 में दर्शित विवरण ए. बी. सी. डी. ई. एफ अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा बंटवाडा करवाया जाने की स्वीकारोक्ति/सहमति अंकित की है। फलस्वरूप अब वाद–पत्र के हस्तगत प्रकरण में अब कोई विवाद शेष नही रह जाने से धारा 15(1) में निस्ताराण योग्य होने से वाद डिक्री कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को तदानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने माफिक दावा पद संख्या 2 में वर्णित संख्या 2 में वर्णित ए0 बी0 सी0 डी0 ई0 एफ0 में वर्णितानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बंटवाडा किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय दस्तावेजात, ईकबालिया जवाब दावा एवं काउण्टर वाद में वर्णित तथ्यों का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर किया गया। वस्तुतः वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को ईकबालिया ज0दा0 एवं काउण्टर वाद अनुसार सहमति/स्वीकारोक्ति अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण द्वारा किये जाने से हसतगत वाद प्रकरण में अब किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रह जाने से धारा 15(1) में निस्तारण योग्य पाया जाता है। लिहाजा अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद माफिक दावा डिक्री किया जाना तथा वाद–पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में वर्तमान राजस्व रेकर्ड दर्ज इन्द्राजात के स्थान पर पद संख्या 2 ए0 बी0 सी0 डी0 ई0 एफ0 में अंकित अनुसार भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं राजस्व रेकर्ड में तदानुसार इन्द्राज करवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादीगण का वाद माफिक दावा स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 तथा 4/1 से 4/3 इस अमर की सादिर की जाती है कि वाद–पत्र को विवादग्रस्त वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज कृषि भूमि सरहद मौजा–सोजत चक।। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी पुश्तैनी व कब्जेकाश्त की भूमि पद संख्या 1 में वर्णित भूमि के स्थान पर वर्तमान दावा पद संख्या 2 ए0बी0सी0डी0ई0एफ0 में वर्णितानुसार निम्नांकित

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

से कृषि भूमि का बंटवाडा किया जाता है—(ख0नं0 रकबा व किस्म में कोई परिवर्तन नही हुआ है अर्थात यथावत है)

ए. वादी संख्या 1 मगाराम की कब्जा काश्त सुदा भूमि —

खसरा नबर	रकबा (हैक्टर)
3019	0.1800
3019/1	0.1600
3019/2	0.1600
3019/3	0.1700
3019/4	0.1500
3019/5	0.1800
3040/4	0.2000

कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.2000 हैक्टर

बी. वादी संख्या 02 चन्दणाराम की कब्जा काश्त सुदा भूमि—

खसरा नबर	रकबा (हैक्टर में)
3057	0.1500
3057/1	0.1500
3057/2	0.1500
3049	0.1600
3049/1	0.1500
3049/2	0.1500
3040/2	0.2100

कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.1200 हैक्टर

सी. वादी संख्या 3 मोहनलाल की कब्जा काश्त सुदा भूमि —

खसरा नबर	रकबा (हैक्टर में)
3030	0.4500
3030/1	0.4500

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

3040/5	0.2100

कुल खसरा 03   कुल रकबा 1.1100 हैक्टर

डी. प्रतिवादी संख्या 1 प्रकाश चन्द्र व 2 मदनलाल की कब्जा काश्त सुदा भूमि–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में
3027	0.4200
3027/1	0.4200
3040/3	0.2000

कुल खसरा 03   कुल रकबा 1.0400 हैक्टर

ई. प्रतिवादी संख्या 2 भैराराम उर्फ अमित की कब्जा काश्त सुदा भूमि–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में
3032	0.2200
3032/1	0.2300
3033	0.2300
3033/1	0.2300
3040/1	0.2100

कुल खसरा 05   कुल रकबा 1.1200 हैक्टर

एफ. प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 टीकमराम, राकेश व डगराई की कब्जा काश्त सुदा भूमि–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में
3040	0.2100
3059	0.0500
3059/1	0.0500
3059/2	0.0600

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

3059/3	0.0500
3059/4	0.0500
3059/5	0.0500

कुल खसरा 07 कुल रकबा 0.5200 हैक्टर

मौके पर किये गये बंटवाड़ा/विभाजित भूमि अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 व 4/1 से 4/3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बईजलाश श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मगाराम पुत्र पुखाराम।		1. प्रकाश चन्द पुत्र डूंगाराम
2. चन्दगाराम पुत्र पुखाराम		2. मदनलाल पुत्र डूंगाराम
3. मोहनलाल पुत्र पुखाराम जातियान माली साकिन सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)		3. भैराराम उर्फ अमित पुत्र पुखाराम।
		4. मृतक भंवरलाल पुत्र पुखाराम के वारिसान–
		4/1 टीकमराम पुत्र भंवरलाल
		4/2 राकेश पुत्र भंवरलाल
		4/3 डगराई पत्नि भंवरलाल जातिगण माली निवासीगण सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)
		5. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु0नं0 :– राजस्व वाद संख्या :– 100/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण तथा अधिवक्ता श्री सम्पतराज देवड़ा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, 4/1 से 4/3 स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 तथा 4/1 से 4/3 इस अमर की सादिर की जाती है कि वाद–पत्र को विवादग्रस्त वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज कृषि भूमि सरहद मौजा–सोजत चक।। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी पुश्तैनी व कब्जेकाश्त की भूमि पद संख्या 1 में वर्णित भूमि के स्थान पर वर्तमान दावा पद संख्या 2 ए0बी0सी0डी0ई0एफ0 में वर्णितानुसार निम्नाकिंत रूप से कृषि भूमि का बंटवाडा किया जाता है–(ख0नं0 रकबा व किस्म में कोई परिवर्तन नही हुआ है अर्थात यथावत है)

ए वादी संख्या 1 मगाराम की कब्जा काश्त सुदा भूमि –

खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)
3019	0.1800
3019/1	0.1600
3019/2	0.1600
3019/3	0.1700
3019/4	0.1500
3019/5	0.1800

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

3040/4	0.2000

कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.2000 हैक्टर

बी. वादी सख्या 02 चन्दणाराम की कब्जा काश्त सुदा भूमि–

खसरा नबंर	रकवा (हैक्टर में)
3057	0.1500
3057/1	0.1500
3057/2	0.1500
3049	0.1600
3049/1	0.1500
3049/2	0.1500
3040/2	0.2100

कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.1200 हैक्टर

सी. वादी सख्या 3 मोहनलाल की कब्जा काश्त सुदा भूमि –

खसरा नबंर	रकबा (हैक्टर में)
3030	0.4500
3030/1	0.4500
3040/5	0.2100

कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर

डी. प्रतिवादी सख्या 1 प्रकाश चन्द्र व 2 मदनलाल की कब्जा काश्त सुदा भूमि–

खसरा नबंर	रकबा हैक्टर में
3027	0.4200
3027/1	0.4200
3040/3	0.2000

कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.0400 हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 भैराराम उर्फ अमित की कब्जा काश्त सुदा भूमि–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में
3032	0.2200
3032/1	0.2300
3033	0.2300
3033/1	0.2300
3040/1	0.2100

कुल खसरा 05 कुल रकबा 1.1200 हैक्टर

एफ. प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 टीकमराम, राकेश व डगराई की कब्जा काश्त सुदा भूमि–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में
3040	0.2100
3059	0.0500
3059/1	0.0500
3059/2	0.0600
3059/3	0.0500
3059/4	0.0500
3059/5	0.0500

कुल खसरा 07 कुल रकबा 0.5200 हैक्टर

मौके पर किये गये बंटवाड़ा/विभाजित भूमि अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 व 4/1 से 4/3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

...शिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.07.2018 को जारी की।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

(मुकेश चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज
(जिला–पाली)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमेश्नर	शून्य	शून्य	बावत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned by CamScanner